न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : मानाराम पटेल आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 301 / 2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– नरपतसिह पुत्र खींवसिह 2– गणपतसिह पुत्र छोगसिह 3– जबरसिह पुत्र सोहनसिह 4– उम्मेदसिह पुत्र शेतानसिह जातियान राजपूत निवासीगण ग्राम ढढू, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर		1– लीलाधर पुत्र पृथ्वीराज जाति पालीवाल निवासी ग्राम ढढू, तहसील फलोदी जिला जोधपुर 2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फलोदी, जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 11–5–2018 जो उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 630 / 2018 मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1–सुगनमल परिहार अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2–बांकाराम चौधरी अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से ।
3–राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 5–11–2018

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 लीलाधर ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी एवं अन्य सहखातेदारान के खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 273 रकबा 207.17 बीघा जो ग्राम ढंढु तहसील फलोदी मे आई हुई है जिसके चारो ओर स्थाई सीमा चिन्ह कायम कर पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11–5–2018 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करत हुए तहसीलदार फलोदी को खातेदारी अधिकारो कब्जा काश्त की भूमि खेत खसरा नंबर 273 रकबा 207.17 बीघा भूमि की पत्थरगढी संबंधित पडोसी खातेदारान को जरिये नोटिस सूचित कर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिवत पत्थरगढी करने के आदेश पारित किये गये । जिसके विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है ।

वकील पक्षकारान उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस सुनी । वकील अपीलाट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांटगण खसरा नंबर 273 / 1 के अभिलिखित खातेदार है जिनको अधीनस्थ न्यायालय मे पक्षकार बनाये बिना केवल तहसीलदार फलोदी को पक्षकार बनाते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र मे स्पष्ट उल्लेख किया था कि खसरा नंबर 273 की

नक्शे मे कोई तरमीम की हुई नही है, तो इसी बिनाय पर उक्त प्रार्थना पत्र खारीज योग्य था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर गौर किये बिना जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है तथा वकील अपीलाट ने कथन किया कि जब मूल खसरा नंबर 273 एवं खसरा नंबर 273/1 तथा खसरा नंबर 273/2 की राजस्व नक्शे मे कही भी कोई तरमीम की हुई नही है, इस कारण इन खसरा नबरान की भूमि बाबत न तो कोई पैमाईश का आदेश दिया जा सकता था और न ही पत्थरगढी की कार्यवाही बाबत आदेश पारित किया जा सकता था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर किये बिना जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत नही होने से निररत योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना एकतरफा आदेश पारित कर दिया जबकि इस मामलें मे खसरा नंबर 273/1 एव 273/2 के खातेदार भी आवश्यक पक्षकार थे जिनको बिना सुने पत्रावली को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प मे रखते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलाट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय मे जिस पैमाईश रिपोर्ट का उल्लेख किया है, वैसी कोई रिपोर्ट अपीलांटगण की मौजुदगी मे तैयार नही की गई बल्कि पटवारी ने मनमर्जी से नक्शा बनाकर पैमाईश करना बता दिया इसलिए ऐसी पैमाईश रिपोर्ट के आधार पर कोई पत्थरगढी के आदेश पारित नही किये जा सकते थे इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि खसरा नंबर 273 हमारे खातेदारी का था जिसका कुल रकबा 273.05 बीघा मे से वर्ष 1985 मे रेस्पो0 के पिताजी ने अपीलांट को 37.15 बीघा भूमि का बेचान किया था तथा वक्त बेचान कब्जा सुपुर्द कर दिया था तथा राजस्व रेकर्ड मे भी उक्त भूमि का इन्द्राज हो गया परंतु राजस्व नक्शे मे तत्समय उक्त रकबे की तरमीम नही हुई । वकील रेस्पो0 ने कथन किया कि इसी खसरे मे से सार्वजनिक निर्माण विभाग को सडक के लिए भूमि दर्ज हुई । वकील रेस्पो0 ने कथन किया कि सडक तरमीम के पश्चात तत्समय राजस्व कर्मचारियो को नये खसरो की तरमीम करनी चाहिये थी जो नही की जाने के कारण अधीनस्थ न्यायालय मे हमने हमारे खातेदारी की भूमि की पत्थरगढी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर पारित निर्णय विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय आदि का भी अवलोकन किया । अपीलांटगण खसरा नंबर 273/1 के अभिलिखित सहखातेदार है । रेस्पो संख्या संख्या 1 लीलाधर ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 111 व 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमे केवल तहसीलदार फलोदी को पक्षकार बनाते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित करवा लिये जाने

पर अपीलाटगण ने यह अपील पेश करने की अनुमति के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है इसलिए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत अपील पेश करने का स्वीकार किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र के साथ जो फर्द पैमाईश दिनांक 22–6–2017 की प्रस्तुत की गई है जिसमे खसरा नंबर 273 से खसरा नंबर 273/1, 273/2 एवं 273/3 बनने का स्पष्ट उल्लेख किया हुआ है तथा उक्त खसरों की तरमीम नही होने का भी स्पष्ट उल्लेख किया गया था तथा उक्त फर्द पैमाईश पर अपीलांटगण के हस्ताक्षर नही होने से उक्त एकतरफा पैमाईश रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने बिना जांच कराये उनके समक्ष प्रस्तुत दिनांक 10–5–18 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दिनांक 11–5–2018 को जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत नही होने से उसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11–5–2018 को निरस्त कर प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलाधीन भूमि की पैमाईश एवं तरमीम कार्य अपीलांट एव अन्य पडौसी खातेदारो की उपस्थिति मे सम्पन्न करावे तथा बाद पैमाईश अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः पत्थरगढी बाबत विधिसम्मत निर्णय पारित करें ।

निर्णय आज दिनांक 5–11–2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(मानाराम पटेल)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर